



THE PLASTICS EXPORT
PROMOTION COUNCIL

दि प्लास्टिक एक्सपोर्ट प्रमोशन कौन्सिल
(भारत सरकार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग द्वारा प्रायोजित)

THE PLASTICS EXPORT PROMOTION COUNCIL

(Sponsored By The Ministry Of Commerce & Industry, Deptt. Of Commerce, Government Of India)

संदर्भ संख्या : PLEXHO/Cir/011

दिनांक : 06.04.2026

को,

प्लेक्सकॉन्सिल/सीओए के सभी सदस्य

प्रिय महोदय/महोदया,

विषय: अग्रिम प्राधिकरण (एए) और ईपीसीजी योजनाओं के तहत निर्यात दायित्व मुक्ति प्रमाणपत्रों (ईओडीसी) के शीघ्र निर्गमन के लिए विशेष अभियान का विस्तार – 31 मई, 2026 तक

हम आपको सूचित करना चाहते हैं कि डीजीएफटी ने **अग्रिम प्राधिकरण (एए) और निर्यात संवर्धन पूंजीगत वस्तु (ईपीसीजी) योजनाओं के तहत निर्यात दायित्व मुक्ति प्रमाणपत्र (ईओडीसी) जारी करने से संबंधित लंबित मामलों के शीघ्र निपटान के लिए डीजीएफटी द्वारा 1 मार्च, 2026 से 31 मार्च, 2026 की अवधि के दौरान चलाए गए विशेष अभियान के संबंध में 1 अप्रैल, 2026 को व्यापार सूचना संख्या 34/2026-27 जारी की है।**

इस अभियान के दौरान, डीजीएफटी क्षेत्रीय प्राधिकरणों ने कुल 11,791 ईओडीसी (28 मार्च, 2026 तक) जारी किए, जिनमें से 7,518 एए के तहत और 4,273 ईपीसीजी के तहत थे, जिसके परिणामस्वरूप लंबित मामलों में काफी कमी आई।

इन उपलब्धियों को आगे बढ़ाने के लिए, विशेष अभियान को **1 अप्रैल, 2026 से बढ़ाकर 31 मई, 2026 तक कर दिया गया है।**

कार्यान्वयन में किसी भी प्रकार की कठिनाई की सूचना संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकरण या डीजीएफटी मुख्यालय को दी जा सकती है।

कृपया विस्तृत अधिसूचना यहां देखें:

https://membership.plasticsepc.org/mails_images/202604061131_32.pdf

यह आपकी जानकारी के लिए है।

साभार

भारती परवे

उप निदेशक (व्यापार एवं नीति)

प्लेक्सकॉन्सिल